न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2015

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. अणची देवी पुत्री वीरूराम पत्नी शम्भूराम विश्नोई निवासी– गांव पृथ्वीराज सिंह नगर सावरीज, तहसील फलोदी जिला जोधपुर		1. पांचाराम पुत्र लुम्बाराम 2. भागीरथ पुत्र लुम्बाराम 3. बगडूराम पुत्र वीरूराम 4. लाखी पुत्री वीरूराम 5. सुगनी पुत्री वीरूराम 6. मीरा पुत्री वीरूराम 7. बादू पुत्री वीरूराम सभी जातियान विश्नोई निवासीयान फतेह सागर तहसील फलोदी जिला जोधपुर 8. पालू पुत्री वीरूराम पत्नी धनजी निवासी रोहिच्चा, तहसील लूणी जिला जोधपुर

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.12.2014 जो राजस्व अपील संख्या 11/2014 अनवान पांचाराम बनाम बगडूराम वगैराह में तहसीलदार लोहावट ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री देवीलाल आर. व्यास, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री ओ0पी0सोनी0 अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या एक, दो की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 3 –07–2023

प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपर जिला कलेक्टर, द्वितीय, जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.03.2008 के अनुसार तहसीलदार, फलोदी को इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया कि राजस्व रेकर्ड का परीक्षण कर वारिसान की जांच कर निर्णय पारित करे। अपीलाधीन वर्णित भूमि ग्राम पंचायत पीलवा के खसरा नम्बर 1348 रकबा 400.05 बीघा भूमि सहखातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वर्ष 2029–32 में खातेदार वीरूराम, अन्नाराम एवं पांचाराम पिता कानाराम, कोला, नैना पिता मूला 3/4, कमली, बेवा लुम्बा 1/4 जाति विश्नोई के नाम खातेदारी थी जिसमें सहखाते दार कमली पत्नी लुम्बाराम ने अपना हिस्सा अपने दो पुत्रों के नाम पांचाराम व भागीरथ पिसरान लुम्बाराम को जरिये बक्शीसनामा दिनांक 30.07.1977 को पंजीयन करवाया व नामा0 संख्या 966 ग्राम पंचायत पीलवा द्वारा दिनांक 21.9.177 को स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् पटवारी हल्का में एक शुद्विपत्र दिनांक 04.12.1991 को भरकर पेश किया जिस पर तहसीलदार ने वीरूराम का नाम भागीरथ व पांचाराम पुत्र लुम्बाराम के साथ जोड़ दिया जो गलत था। जिसके विरूद्ध पांचाराम व भागीरथ द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी जो रिमाण्ड होकर मात्र वारिसान की जांच करने बाबत तहसीलदार को आदेश

को व अपीलार्थीया को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया तत्पश्चात अपीलार्थीया के बयान दर्ज किये गये और बिना सुनवाई किये ही तहसीलदार, लोहावट द्वारा दिनांक 15.12.2014 को अपीलाधीन आदेश के जरिये वीरूराम का नाम जमाबंदी से हटाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध, मनमाना एवं तथ्यों से परे होने से अपास्त किये जाने योग्य है क्योकि अपीलार्थीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपने बयानों में स्पष्ट बताया था कि पांचाराम व भागीरथ लुम्बाराम के पुत्र नहीं है, वे नैनाराम के पुत्र है तथा लुम्बाराम की लाऔलाद मृत्यु हुई थी। ऐसे में जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पांचाराम व भागीरथ लूम्बाराम के पुत्र होने पर विवाद था तो तहसीलदार को विस्तृत जांच की जानी चाहिये थी तथा पक्षकारों को लुम्बाराम का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देना चाहिये था, बिना सक्षम न्यायालय के उत्तराधिकारी घोषित किये बिना आलौच्य निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था फिर भी इस महत्वपूर्ण विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। दिनांक 04.08.2010 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वास्ते उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि खातेदारान के वारिसान की सम्पूर्ण जानकारी सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर की जा सकती है तथा इससे वारिसान की निष्पक्ष जांच भी हो सकेगी। उपरोक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय होने तक लम्बित रहा एवं उस पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ। उपरोक्त प्रार्थना पत्र लम्बित रहते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित किया है जो किसी भी दृष्टि से विधि अनुसार उचित नहीं है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीया के पिता वीरूराम के नाम अन्ना, पांचा के साथ नाम लुम्बाराम की मृत्यु के बाद जमाबंदीयों में दर्ज हुआ था। जिसमें राजस्व रेकर्ड में कांट छांटकर पांचा एवं भागीरथ कर दिया था। जिस पर अपीलार्थीया के पिता द्वारा आपत्ति करते हुये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शुद्धि पत्र के आदेष द्वारा उसका नाम स्वीकृत किया गया था। लुम्बाराम, कानाराम, नैनाराम एवं कौशलराम सभी सगे भाई है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त पांचाराम व भागीरथ नैनाराम के पुत्र है जिसकी पुष्टि वर्ष 1980 की जारी वोटर लिस्ट से भी होती है जिसमें दोनों के पिता का नाम नैनाराम बताया गया है तथा दोनों वर्ष 1980 तक दोनों भाई बताते रहे है तथा उनका पिता नैनाराम रहा है। लुम्बाराम की कोई भी औलाद नहीं थी। कमली ने जब तथाकथित बक्शीसनामा किया तब वह नैनाराम की पत्नी थी। इससे साफ जाहिर होता है कि भागीरथ एवं पांचाराम लुम्बाराम

के पुत्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2014 को मात्र बयान दर्ज कर पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 15.12.2014 को रखी जिसकी पुष्टि न्यायालय की आदेशिकाओं से भी होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो कोई सुनवाई की और न ही कोई बहस का अवसर प्रदान किया, मात्र सरकारी तौर पर आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी की है। विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि जंहां उत्तराधिकारी बाबत किसी भी प्रकार संशय या विवाद हो वहां सरसरी तौर पर आदेश पारित कर उत्तराधिकारी तय नहीं किया जा सकता। इसके लिये मात्र एक उपाय सक्षम न्यायालय में सम्पूर्ण जांच एवं साक्ष्य लेकर ही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त विधि की पालना नहीं कर आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिस तथाकथित बक्शीसनामा के आधार पर आलौच्य निर्णय पारित किया है जो लुम्बाराम के दो पुत्रों भागीरथ एवं पांचाराम के नाम किया है जो अपने आप में ही संदेहास्पद है। भागीरथ एवं पांचाराम लुम्बाराम के पुत्र ही नहीं थे बल्कि वे नैनाराम के पुत्र थे। अगर सही में भागीरथ व पांचाराम लुम्बाराम के एक मात्र संतान होते तो उनकी मां को बक्शीसनामा लिखने की कोई कतई कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे दोनों विधिक वारिसान थे। एक झूठा, फर्जी मुखत्यारनामा तैयार कर अपने आपको लुम्बाराम का पुत्र बताने के उद्वेश्य से ऐसा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस अनुसंधान के आधार पर वीरूराम का नाम कूटरचित जोड़े जाने का उल्लेख किया है वह कतई न्यायोचित नहीं है क्योकि पुलिस अधिकारी के अनुसंधान के आधार पर किसी भी व्यक्ति /अपराधी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक सक्षम न्यायालय उसे दोषी घोषित नहीं कर सके। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजीनामा एवं पुलिस अनुसंधान से लुम्बाराम के दो पुत्र पांचाराम एवं भागीरथ होना माना है जो कतई न्यायोचित नहीं है क्योंकि दूसरे पक्षकार द्वारा अगर कोई राजीनामा पेश किया जाता है तो उसके लिये अन्य पक्षकार बाध्य नहीं होता है इसलिये राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पांचाराम एवं भागीरथ को लुम्बाराम का पुत्र माना है वह कतई उचित नहीं है इसलिये उपरोक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थीया के पिता का नाम दर्ज नामा0 को बहाल किया जावे एवं अपीलार्थीया विधिक वारिसान होने से उनके नाम जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का आदेष फरमाया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने पूर्व में अपील में प्रस्तुत लिखित बहस मे अंकित तथ्यों में घटित घटनाक्रम को दोहराते हुए यह कथन किया कि ग्राम पीलवा के ख0सं0 1348 रकबा 400.05 बीघा भूमि सहखातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी वर्ष 2039–32 में खातेदार वीरूराम, अन्नाराम एवं पांचाराम पिता कानाराम, कोला, नैना पिता मूला 3/4 कमली, बेवा लूम्बा 1/4 जाति विश्नोई के नाम खातेदारी थी जिसमें सहखातेदार कमली पत्नी लुम्बाराम ने अपना हिस्सा अपने दो पुत्रों के नाम पांचाराम व

भागीरथ पिसरान लुम्बाराम को जरिये बक्शीसनामा दिनांक 30.07.1977 को पंजीयन करवाया व नामा0 संख्या 966 दिनांक 21.9.1977 को ग्राम पंचायत पीलवा से स्वीकृत करवाया गया। तत्पश्चात् पटवारी हल्का में एक शुद्विपत्र दिनांक 04.12.1991 को भरकर पेश किया जिस पर तहसीलदार ने वीरूराम का नाम भागीरथ व पांचाराम पुत्र लुम्बाराम के साथ जोड़ दिया जो गलत था। जिसके विरूद्ध पांचाराम व भागीरथ द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी जो रिमाण्ड होकर मात्र वारिसान की जांच करने बाबत तहसीलदार को आदेश पारित किया गया। जिस पर तहसीलदार, फलोदी के द्वारा प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को व अपीलार्थीया को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र किया गया जिस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। अपीलार्थीया के बयान दर्ज किये तथा बिना सुनवाई किये तहसीलदार लोहावट द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15.12.14 को पारित कर वीरूनाम का जमाबन्दी से हटाने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थीया द्वारा यह अपील पेश की गई है लेकिन वास्तव में अपर जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.2008 के अनुसार तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि पखकारान को सुनवाई का अवसर देकर, राजस्व रेकर्ड का परीक्षण कर मूल खातेदारान के वारिसान की जॉच कर भूमि के लिये किये गये हस्तान्तरण से सम्बन्धित दस्तावेज के आधार पर पुनः परीक्षण कर नियमानुसार आदेश पारित करें। जिस पर तहसीलदार द्वारा पत्रावली दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये व वीरूराम के का0मु0 पुत्र/पुत्रियों व पत्नी के नाम नोटिस जारी कर तामीली करवाई गई।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि नवसृजि ग्राम फतेहसागर के ख0सं0 1348/1 रकबा 100 बीघा की खातेदारी में पांचाराम, भागीरथ पिता लूम्बा दर्ज थी जो जमाबन्दी वर्ष 2046–49 में दर्ज है। पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 4.12.91 को एक शुद्धिपत्र भरकर तहसीलदार फलौदी को पेश किया कि ख0सं0 1348/1 रकबा 100 बीघा भूमि में वीरूराम का नाम, भागीरथ व पांचाराम पिता लूम्बाराम के नाम जोडा गया जो रजिस्टर्ड बक्शीसनामा व नामा0 संख्या 966 के अनुसार गलत था, जिस पर पुलिस थाना लोहावट में मुकदमा दर्ज करवाया गया जिसमें पुलिस जॉच में पटवारी हल्का के द्वारा रिकार्ड में हेरीफरी की गई। उसके उपरान्त अपर जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई। जिस पर वीरूराम के सभी वारिसान को नोटिस जारी किये गये जिस पर वीरूराम के पुत्र बगडूराम पत्नि लाखी पुत्रिया सुगनी, मीरा, बाधु व पालू ने दो अलग–अलग राजीनामा दिनांक 19.7.11 व दिनांक 11.8.11 को जरिये अधिवक्ता पेश किया जो पत्रावली में शामिल किये गये। उक्त वीरूराम की पुत्री अणचीदेवी के अतिरिक्त शेष सभी वारिसान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच ख0सं0 1348/1 रकबा 100 बीघा में वीरूराम के वारिसानों का हक–हिस्सा नहीं है तथा पांचाराम, भागीरथ पुत्र लूम्बाराम की ही भूमि व कब्जा काश्त है तथा हमे किसी तरह का उज्र एतराज नहीं है। तत्पश्चात अणचीदेवी पत्नि शिम्भूराम पुत्र वीरूराम विश्नोई हाल– पृथ्वीसिंह नगर, सावंरिज के नाम नोटिस जारी किये गये जिसकी पावती अणचीदेवी के पति शिम्भूराम द्वारा की गई। श्रीमती अणची ने उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाकर एतराज प्रस्तुत

किया कि लूम्बाराम के कोई औलाद नहीं थी तथा झूठा बक्शीसनामा में लूम्बाराम के वारिस बनकर उक्त भूमि अपने नाम करवाई। जबकि पुलिस अनुसंधान में लूम्बाराम के दो पुत्र पांचाराम, भागीरथ है जबकि वीरूराम कानाराम का पुत्र है, लूम्बाराम का पुत्र नहीं है। जो पुलिस अनुसंधान की प्रति अनुसार स्पष्ट है।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में यह अंकित किया कि पत्रावली का मनन किया, राजस्व रिकार्ड जॉच करने पर पांचाराम भागीरथ पिता लूम्बाराम निवासी–फतेहसागर के नाम प्रस्तुत बक्शीसनामा व नामा0 संख्या 966 के अनुसार ख0सं0 1348/1 की विधिपूर्वक कार्यवाही की गई एवं पटवारी हल्का द्वारा जरिये शुद्धिपत्र स्वीकृत दिनांक 4.12.91 के अनुसार वीरूराम का नाम उक्त खसरे की खातेदारी भूमि के साथ नाम जोडा गया जो रजिस्टर्ड बक्शीसनामा व नामा0 संख्या 966 के विपरित था। अणचीदेवी द्वारा अपने दिये गये बयान के ऐतराज अनुसार लूम्बाराम के कोई वारिस नहीं होना बताया जबकि पुलिस अनुसंधान में लूम्बाराम के दो पुत्र पांचाराम व भागीरथ है। इस प्रकार अणचीदेवी ने अपने बयान में भ्रमित करने का प्रयास किया गया। वर्तमान में जमाबन्दी में वीरूराम, पांचाराम, भागीरथ पिता लूम्बाराम का नाम दर्ज है जो वीरूराम का नाम कूटरचित से जोडा गया है जो न्यायोचित नहीं है। अतः पटवारी हल्का फतेहसागर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम फतेहसागर के उक्त ख0सं0 1348/1 में दर्ज खातेदार वीरूराम का नाम हटाया जावे तथा शेष खातेदार पांचाराम, भागीरथ पिता लूम्बाराम विश्नोई के नाम भूमि रखी जावें। उक्त भूमि का नामा0 यदि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन नहीं हो अथवा कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

इस प्रकार अपीलार्थीया अणची देवी पुत्री वीरूराम का देहान्त दिनांक 10.8.2004 को हो गया है तो भी अपीलार्थीया अपने पिताजी की जमीन पर कोई हक–हिस्सा नहीं रख सकती है इसलिये भी उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीया की अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। अपने कथनों के समर्थन में पांचाराम पुत्र लूम्बाराम के सम्बन्ध मे दस्तावेज व निष्पादित बक्शीसनामा इत्यादि दसतावेज सबूत मे पेश किये तथा निम्न निर्णय नजीरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत की यथा सिविल अपील संख्या 7217/2013 प्रकाश वगैराह बनाम फूलवती वगैराह, आरआरटी 2001 पेज 29, 1994 एससीसी पेज 575, आरआरडी, 1987 पेज 466, डीएनजे राज 1996 पेज 514, आरआरडी 1993 पेज 23, आरआरडी 1987 पेज 106, आरआरडी 1978 पेज 417, एआईआर 1996 बोम्बे पेज 98, आरआरडी 1996 पेज 587, एआईआर एससी 1966 पेज 432, एससीसी 2004 पेज 769, आरआरडी 1987 पेज 371, आरआरडी 1987 पेज 359, आरआरडी 1987 पेज 195, आरआरडी 1985 पेज 170, आरबीजे 1995 पेज 780 इत्यादि।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि कमली बेवा लुम्बा के द्वारा दिनांक 30.07.1977 को ग्राम पीलवा के ख0सं0 1348 रकबा 400.05 बीघा में 1/4 हिस्सा पांचाराम व भागीरथ पिसरान लुम्बा को रजिस्टर्ड

बक्शीश किया गया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 966 दिनांक 21.09.1977 ग्राम पंचायत, पीलवा के द्वारा स्वीकृत किया गया। पुलिस अनुसंधान में भी लुम्बाराम के दो पुत्र पांचाराम व भागीरथराम होने व वीरूराम कानाराम का पुत्र होना प्रतिवेदित किया है। वीरूराम का नाम जरिये शुद्धिपत्र दिनांक 04.12.1991 को जोडा गया है जो दस्तावेज व विश्लेषण के मध्यनजर उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लोहावट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 3 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर